



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228058
CG-DL-E-01072021-228058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2465]
No. 2465]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2657(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट बेंगलोर - चेन्नई एक्सप्रेसवे के 245.2 किमी से 245.7 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-बेंगलोर - चेन्नई एक्सप्रेसवे तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर	1 थिरुमेनिकुप्पम

	(एलए), राष्ट्रीय राजमार्ग, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले, कांचीपुरम में	No Yet to be Assigned के कि.मी. 245.2 से 245.7 तक			
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. NHAI-HQ/11013/3(a)-LA-Notif/Tiruvallur/2013/PIU-Krishnagiri]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2657(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 245.2 to Km. 245.7 of the proposed Bangalore - Chennai Expressway section for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TAMIL NADU.

SCHEDULE

Land acquisition in respect of proposed Bangalore - Chennai Expressway section in the State of TAMIL NADU.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special District Revenue Officer (LA), National Highways, Kanchipuram and Tiruvallur Districts at Kanchipuram	245.2KM To 245.7KM	TAMIL NADU	TIRUVALLUR	Thiruvallur	1 Thirumenikuppam

[F. No. NHAI-HQ/11013/3(a)-LA-Notif/Tiruvallur/2013/PIU-Krishnagiri]

RAJESH GUPTA, Director